

वाही

बनाम

प्रतिवादी

मोतीराम वरु रामराम

गान्धारी वरु विद्याराम

पत् २५५५

ने.ध.व.मी

किस्म मुकदमा २५५५ वा. अधीन धारा ५३, १४४ R.A.C. मु.नं. १५१/२०१८

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
३१/१२/१८	<p>प्रस्तुत वाद वाही ने प्रतिवादीगण के खिलाफ अर्जेंट द्वारा ५३, १४४ R.A.C. के तहत एक रिपोर्ट वाही का आवेदन बाद पत्र द्वारा ५३, १४४ R.A.C. के तहत इजाजत दी वाही को सुन वाही ने कथन किया की ग्राम शाला के अंक ४१९, ४५०, ४५१ ने खादेरीची मोरीकहा सुडा जमीन ने प्रतिवादीगण परेशान कर कब्जा करने पर उतारु ही उन्हें पाबन्ध करमाके प्रतिवादीगण को कोष में बुलाया गया प्रतिवादीगण उपर अरपयं गा.पं. शाला उपर पक्षकाराण को आपस में बर्बाद सामाजिक कारु पर बरवांरा कराने पर बरखत होन से कोष में उपनिर्त तहसीलदार (गुणमान को निर्दिष्ट जय की पक्षकाराण का शीनामा जारी करवांरा कहीं पक्षकाराण द्वारा शीनामा पत्र सिंग १ सिंग अरपयं ने हाता करुके शीनामा इरा. १३१० (श्री) मिल वाही के आवेदन बाद पत्र ने कार्यवाही होक नही होने से पक्षकाराण कोष में बर्बाद होकर फिलहाल हाता को निर्दिष्ट अरु आम कोष शाला में बुलाया गया</p>	

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)